अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 23 माघ, 1947 (श०) / 12 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	02
(2)	कृषि विभाग	02
(3)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01
(4)	सहकारिता विभाग	01
	कुल योग --	06

जमाबंदी किसानों के नाम करना

21. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में असर्वेक्षित जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक सितम्बर, 2024 में पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद हटा ली गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियाँ, सहरसा शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, छपरा, सिवान, गोपालगंज में असर्वेक्षित जमीन की खरीद-बिक्री होने पर भी दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा है, जिससे कृषि संबंधी योजना का लाभ कृषकों को नहीं मिल पा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अबतक असर्वेक्षित जमीन का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कृषक हित में असर्वेक्षित जमीनों का दाखिल-खारिज कर उसकी जमाबंदी संबंधित किसानों के नाम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीज वितरण कराना

22. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा कोल्ड स्टोरेज में आलू बीज का भंडारण बंद कर देने से किसानों को अब सस्ती दरों पर उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण भागलपुर सहित राज्य भर के किसान निजी दुकानों से महंगी और निम्न स्तरीय बीज खरीदने को विवश है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों की आय बढ़ाने हेतु पुनः बीज निगम के माध्यम से आलू बीज भंडारण एवं अनुदानित बीज वितरण की व्यवस्था कबतक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

23. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग के पत्रांक 965, दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 तथा निबंधक स0 स0, बिहार के पत्रांक 6198, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 के आलोक में निर्गत परिपत्र के अनुपालन में पैक्स/व्यापार मंडल की नवगठित प्रबंधकारिणी, जिसमें पूर्व के व्यतिक्रमी सदस्य नहीं हैं, को धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु चयनित कर उन्हें कार्य करने का आदेश देने का निदेश निर्गत है, तथापि स्थानीय पदाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन मनमानी तरीके से करते हुए बांका जिला के अमरपुर व्यापार मंडल एवं सहरसा जिला के सत्तर कटहिया प्रखंड के बीजलपुर पैक्स सहित अन्य जगहों पर उक्त दिशा-निर्देश का दुरूपयोग किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाना

24. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य लगभग 45 लाख एम0टी0 निर्धारित था, जिसे इस वित्तीय वर्ष में घटाकर 36 लाख 85 हजार एम0टी0 कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान का पैदावार ज्यादा हुआ है लेकिन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य घटा देने से किसानों को धान क्रय करने में परेशानी हो रही है और किसानों को धान का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मंडी की व्यवस्था कराना

25. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ0जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में फल एवं सब्जी सहित दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बेचने वाले व्यवसायी प्राय: सड़क किनारे बैठकर बिक्री करते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन यातायात जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के व्यवसायियों के लिए स्थानीय स्तर पर मंडी की कोई स्थायी एवं समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक व्यवसायियों के लिए मंडी की समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रियान्वित करना

26. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा Suo-Moto-8/2020(खंड-1085, दिनांक 4 अप्रील, 2024) द्वारा सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को राज्य अन्तर्गत भूमि/भू-खंड का अंतरण क्रय-विक्रय के पश्चात् पारदर्शिता पूर्वक दाखिल-खारिज सुनिश्चित करने हेतु राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालय से संबद्ध किया गया है, जिससे Suo-Moto दाखिल-खारिज की कार्रवाई हो सके ;

(2) क्या यह बात सही है कि भू-खंड के क्रय-विक्रय के पश्चात् Suo-Moto दाखिल-खारिज की कार्रवाई की प्रक्रिया नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक Suo-Moto दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 12 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 27(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026